उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46 बी, आईoटीo पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com Ph.No.: 0135-2607092

पत्रांक : यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./एन.ओ.सी.(पी.एच.)-7930/2023-24/1582 दिनांक : 14.02.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री नवीन सिंह परिहार, पुत्र श्री खीम सिंह परिहार, निकट पेट्रोल पम्प माल रोड, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम सियामल व करूली, तहसील एवं जिला बागेश्वर में प्रस्तावित सियामल व करूली सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल–4.406 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो – लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46–बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर (v) कार्यालय, जिला पंचायत, बागेश्वर (vi) जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति **www.ueppcb.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

श्री नवीन सिंह परिहार, पुत्र श्री खीम सिंह परिहार, निकट पेट्रोल पम्प माल रोड, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम सियामल व करूली, तहसील एवं जिला बागेश्वर में प्रस्तावित सियामल व करूली सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल –4.406 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 16.03.2024 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड–19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित् कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

Hindustan Times 15/2/2024